



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 243/2026

मोहम्मद अरस्तान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद रज़ीउल्लाह, गयासुद्दीन, ज़रताब कमर

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से एफ.आई.आर. संख्या 429 वर्ष 2025, धारा 8/21/29/60 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना विभूति खंड, जनपद लखनऊ में दाखिल किया गया है, जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 30.11.2025 से जेल में निरुद्ध है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आवेदक के विरुद्ध कथित मादक पदार्थ की झूठी बरामदगी दर्शाई गई है। यह भी कहा गया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42, 50 एवं 57 में निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त नासिर अली के समान है, जिसे इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10/2026 में दिनांक 20.05.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत पाने का अधिकारी है। यह आश्वासन दिया गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

नासिर अली के जमानत आदेश की छायाप्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त नासिर अली को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की परस्पर दलीलों पर विचार करते हुए, कथित मादक पदार्थ की मात्रा, सह-अभियुक्त के साथ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समानता के आधार तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37(1)(बी) में निहित दोनों शर्तें पूरी होती हैं। इस न्यायालय का मत है कि यदि जमानत प्रदान करने के लिए उचित एवं युक्तिसंगत आधार मौजूद हैं, तो आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। मेरे विचार से यह जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक मोहम्मद अरस्लान को एफ.आई.आर. संख्या 429/2025 में व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके लिए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति उन तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए। आवेदक साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक लिखित वचनपत्र दाखिल करेगा कि जिस तारीख को गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस तारीख पर वह साक्ष्य की कार्यवाही स्थगित कराने के लिए कोई स्थगन/तारीख नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक उक्त उद्घोषणा में निर्धारित तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष मामले की कार्यवाही प्रारंभ होने के दिन, आरोप तय किए जाने के दिन, तथा धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के दिन निश्चित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाएगा और विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त किए जाने के संबंध में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 10 जून, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।